रिलायबल

CBSE OTBA पर आधारित

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन (OTBA)

हिंदी

सत्र-II/2017 के लिए

(कक्षा – IX)

विषय–सूची

1. विषय : समावेशी शिक्षा एक चुनौती

मुक्त पाठ्य सामग्री	2
आदर्श प्रश्न एवं उनके उत्तर	7
संभावित प्रश्न एवं उनके उत्तर	9

2. विषय : स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान

मुक्त पाठ्य सामग्री	11
आदर्श प्रश्न एवं उनके उत्तर	16
संभावित प्रश्न एवं उनके उत्तर	17

FREE DOWNLOAD RELIABLE ENTERPRISES NOT FOR SALE

रिलायबल इंटरप्राइजेज

(कॉन्वेंट पब्लिकेशन की अनुषंगी फर्म)

जे-2/16, पदम चंद मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 9911 103 103, 011-30180040; ई–मेल : rpub@rediffmail.com

वेबसाइट : www.reliablebooks.in

विषय 1. समावेशी शिक्षा एक चुनौती

मुक्त पाठ्य सामग्री

अधिगम उद्देश्य

'समावेशी शिक्षा एक चुनौती' पर आधारित मुक्त पाठ्य सामग्री के अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी :

1. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व को समझ सकेंगे।
2. समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु प्रेरित हो सकेंगे।
3. में अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सकेगा।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपना सहयोग देंगे।
5. सुगम्य भारत अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपना योगदान दे सकेंगे।

पाठक के लिए टिप्पणी

"समावेशी शिक्षा एक चुनौती" विषय के अंतर्गत इस मुक्त पाठ्य सामग्री में समावेशी शिक्षा के महत्त्व एवं आवश्यकता पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिससे शिक्षार्थी अपने परिवार, अपने शिक्षकों तथा सहपाठियों से इस विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षार्थियों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता का विकास हो सकेगा। शिक्षकों को चाहिए कि वे इस विषय में कक्षा में चर्चा करें ताकि समाज में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बन सके। जिससे हर एक विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विकसित होने का पूर्ण अवसर मिल सके। वे घर की चारदीवारी में कैद होकर न रहें, उन्हें सहपाठियों, परिवार और समाज का भरपूर समर्थन व सहयोग मिले।

केस स्टडी

रमेश एक दृष्टिबाधित बालक है। उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। रमेश के पिता ने उसके दाखिले के लिए कई विद्यालयों में संपर्क किया लेकिन सभी विद्यालयों ने उन्हें यही सलाह दी कि पास के शहर में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग से विद्यालय है, जहाँ केवल दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर रमेश का दाखिला कराया जाना चाहिए। लेकिन रमेश के पिता चाहते थे कि उनका बेटा सामान्य विद्यालय में ही अध्ययन करे, इसलिए उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। आखिर एक प्राचार्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रमेश को अपने विद्यालय में दाखिला दिया। प्राचार्य ने सभी शिक्षकों को समझाया कि रमेश को सभी बच्चों के साथ अध्ययन कराया जाए तथा उसके साथ अन्य बच्चों के जैसा ही व्यवहार किया जाए। शिक्षकों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। रमेश को कक्षा में पहली बेंच पर रोहन के साथ बिठाया गया। रोहन जल्दी ही समझ गया कि रमेश देख नहीं सकता लेकिन वह सुनकर बातों को याद रख पाता है। रोहन ने रमेश की इस खूबी को समझकर अतिरिक्त समय में रमेश को पाठ पढ़कर सुनाना प्रारंभ किया। प्राचार्य ने कुछ दिनों के बाद एक ब्रेल भाषा 'ब्रेल दृष्टिबाधित बच्चों की भाषा है जिसे वे छूकर पढ़ सकते हैं' प्रशिक्षक से अनुरोध किया कि कुछ अतिरिक्त समय देकर रमेश को ब्रेल सिखा दिया करें। रमेश ने जल्दी ही ब्रेल सीख ली। अभिभावकों ने रमेश की सारी पुस्तकें ब्रेल भाषा में मँगवा दीं। अब रमेश किसी सामान्य बच्चे की भाँति ही अपने पाठ पढ़ लेता है।

रमेश के उदाहरण से समावेशित शिक्षा का अर्थ, इसमें आने वाली मुश्किलें और उन मुश्किलों से पार पाने के तरीकों को आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी बात आगे करने से पहले यह समझ लें कि रमेश की दृष्टिबाधिता के कारण उसकी अध्ययन संबंधी आवश्यकताएँ कुछ भिन्न हैं, जैसे–अन्य बच्चों की तरह वह देखकर पढ़ाई नहीं कर सकता लेकिन सुनकर एवं छूकर वह बहुत कुछ सीख सकता है। इस तरह से उसकी आवश्यकता अन्य बच्चों से भिन्न है। अत: रमेश जैसे अन्य बच्चों को 'विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी' कहा जाता है। इसी तरह से कुछ बच्चों को सुनने की समस्या होती है, कुछ के हाथ-पैर में कुछ विकृति होती है, कुछ का विकास पिछड़ा हुआ होता है तो कुछ को सीखने संबंधी कुछ खास कठिनाइयाँ होती हैं। इन सभी तरह की कठिनाइयों के कारण उनके सीखने के तरीकों में भिन्नता होती है। हर एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की समस्या और उसके सीखने का तरीका भिन्न हो सकता है। इन भिन्नताओं के बाद भी उन्हें सबके साथ सामान्य वातावरण में शिक्षा देना ही सही मायनों में समावेशित शिक्षा है। **(यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नि:शक्त, विकलांग, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, दिव्यांग जैसे शब्द प्रचलित हैं। 'दिव्यांग' एक सर्वाधिक नवीन पद है जो इन बच्चों के लिए प्रचलन में आना प्रारंभ हुआ है।)**

यह सच है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ अलग से विशेष विद्यालय होते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जितनी बढ़ी संख्या में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उतनी संख्या में विशेष विद्यालय नहीं हैं। जनगणना के नए आँकड़ों से पता चलता है कि साल 2001 में नि:शक्तजनों की तादाद देश की कुल आबादी में 2.13 फीसदी थी जो साल 2011 में बढ़कर 2.21 फीसदी हो गई। नए आँकड़ों के मुताबिक नि:शक्त जनों की कुल संख्या (2.68 करोड़) का 69.5 फीसदी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। साल 2001 की जनगणना के आँकड़ों में कहा गया था कि देश के कुल नि:शक्त जनों की 75 फीसदी तादाद ग्रामीण इलाके में रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नि:शक्त जनों में महिलाओं की संख्या 44.1 फीसदी है। साल 2001 से 2011 के बीच महिला निशक्त जनों की संख्या में 27.1 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि पुरुष नि:शक्त जनों की संख्या में 18.9 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। एक और बड़ा सच यह भी है कि विशेष विद्यालयों में इन बच्चों को अपने ही जैसी कठिनाइयों वाले बच्चों के साथ रहना होता है, जबकि कई शोध अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही अध्ययन करते हैं तो उनके विकास की ज्यादा संभावनाएँ हैं। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है, ताकि सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तरह के विद्यार्थी एक-दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन-पाठन के कार्य को कर सकें। समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह भी प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अंदर विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सरोकारों को आम लोग बेहतर ढंग से समझ सकें तथा उनमें उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके। हमारा संविधान भी जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई) अधिनियम-2009 में भी 6 से 14 वर्ष की आयु वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। इस तरह से समावेशित शिक्षा ही श्रेष्ठ विकल्प के रूप में हमारे सम्मुख है।

समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य जीवन जीने और रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका प्रदान कर उनके समाजीकरण और कौशल को बढ़ा सकती है। उन्हें अपने हमउम्र विद्यार्थियों के साथ सामान्य

संबंध बनाने का भी अवसर देती है। यह शिक्षा उन्हें यह अहसास करा सकती है कि वे भी समाज का हिस्सा हैं। समावेशित शिक्षा सिर्फ़ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ही ज़रूरत नहीं है, वह एक सामान्य बच्चे का व्यक्तित्व विकास भी कर सकती है, यह शिक्षा सामान्य बच्चों में धैर्य, क्षमा, सहयोग, सहिष्णुता निस्वार्थता जैसे उच्च मानवीय गुणों की वृद्धि में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षक द्वारा एक विशेष बच्चे को धैर्यपूर्वक पढ़ाते हुए देखकर सामान्य बच्चा धैर्य व सहिष्णुता के महत्व को समझ सकता है, या कभी विशेष बच्चे को सीखने में मदद करने से उसके सामान्य साथी में सहयोग की भावना का विकास हो सकता है। समावेशन उन्हें सिखा सकता है कि विविधता को कैसे स्वीकार करना है। भारत में समावेशित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा 'कुछ के लिए' से 'सभी के लिए' की ओर बढ़ रही है।

हमारे देश में कानूनी रूप से स्वीकृत विशेष आवश्यकताओं का वर्णन नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 और स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 में किया गया है। ये विशेष आवश्यकताएँ हैं–

1. **दृष्टिबाधित (Blindness)** उस व्यक्ति के प्रति निर्देश करता है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित है अर्थात–
   (*i*) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव या
   (*ii*) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता
   (*iii*) दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतकारी होना या अधिक खराब होना।
2. **कम दृष्टि वाला व्यक्ति (Low vision)** से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार संशोधन के बावजूद दृष्टि-संबंधी कृत्य का ह्रास हो गया हो और जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ रहा है।
3. **कुष्ठ रोग से मुक्त (Leprosy cured)** व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से ग्रसित है:–
   (*i*) जिसके हाथ या पैरों में संवेदना की कमी तथा नेत्र और पलकों में संवेदना की कमी और आंशिक घात है किंतु कोई प्रकट विरूपता नहीं है।
   (*ii*) प्रकट विकलांगता ग्रस्त और आंशिक घात है किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वे सामान्य आर्थिक क्रिया कलाप कर सकते हैं।
   (*iii*) अत्यंत शारीरिक विरूपांगता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उन्हें कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग से मुक्त पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।
4. **श्रवण ह्रास (Hearing impairment)** से अभिप्रेत है–संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कान में 60 डेसीबल या अधिक की हानि।
5. **चलन नि:शक्तता (Loco motor disability)** से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।
6. **मानसिक मंदता (Mental retardation)** से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था है जो विशेष रूप से सामान्य बुद्धिमत्ता की असामान्यता द्वारा प्रकट होती है, अभिप्रेत है।
7. **मानसिक रुग्णता (Mental illness)** "मानसिक रुग्णता" से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है।

8. **स्वलीनता (Autism)** का अर्थ है–एक असमान योग्यता विकास की स्थिति, जो मुख्यत: व्यक्ति की बातचीत तथा सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करती है, जिसे पुनरावृत्ति तथा रूढ़ियुक्त व्यवहार के जरिए पहचाना जा सकता है; मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संप्रेषण को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे 'आत्मविमोह' और 'स्वपरायणता' भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति, सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे–एक ही काम को बार-बार दोहराना।

9. **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral palsy)** का अर्थ है–किसी व्यक्ति की प्रगति विहीन स्थितियाँ, जिसमें जन्म पूर्व या शिशु अवस्था में हुए मस्तिष्क आघात के कारण उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल तथा मुद्रा दिखाई पड़ती हैं। मस्तिष्क पक्षाघात मोटर तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और आम तौर पर प्रारंभिक अवस्था या बचपन में प्रकट होता है।

10. **बहु-विकलांगता (Multiple disabilities)** का अर्थ है–दो या अधिक विकलांगता का मिश्रण। 'बहु विकलांग व्यक्ति' का अर्थ है–ऐसा व्यक्ति जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या किसी दो या अधिक स्थितियों के मिश्रण का शिकार हो तथा ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बहु-विकलांगता का शिकार हो।

इन दस विशेष आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी विशेष आवश्यकताएँ हैं जिन पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। सीखने की नि:शक्तता (Learning disability) इन्हीं में एक है। सीखने की नि:शक्तता से जूझ रहे बच्चे को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, गणित के सवालों और सूत्रों को समझने और सामान्य अवधारणाओं को समझने में कठिनाई आ सकती है। सीखने की नि:शक्तता में विकारों का एक समूह आता है, जैसे–डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। प्रत्येक किस्म का विकार दूसरे विकार के साथ मौजूद रह सकता है। अगर सीखने की नि:शक्तता का खयाल नहीं किया जाता, तो इन बच्चों का पीछे छूट जाने का खतरा है। उनका आत्मसम्मान कम होता जाता है, इसका बोझ बढ़ता जाता है, उनसे कमतर उम्मीदें रहती हैं और अपने सपनों को पूरा करने की उनकी क्षमता का ह्रास होता जाता है।

समावेशन की चुनौती का सामना

इतने तरह की भिन्न-भिन्न विशेष आवश्यकताओं को जान लेने के बाद अब प्रश्न यह है कि इतनी विविधताओं के साथ बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है या नहीं? आमतौर पर उत्तर आता है-नहीं! क्योंकि जब भी समावेशन की बात आती है तो फिर सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही **''सोच''** है कि बच्चे में यदि कोई नि:शक्तता है, तो उसे पृथक विद्यालय में भेजो। यदि हम अपनी इस सोच में परिवर्तन कर सकें, तो समावेशन को संभव बनाना इतना कठिन भी नहीं है। आइए कुछ उपायों पर चर्चा करते हैं जिनसे समावेशन को संभव किया जा सकता है:–

दृष्टिकोण में परिवर्तन : समावेशित शिक्षा को संभव बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्राचार्य, शिक्षक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अभिभावक, गैर नि:शक्त सहपाठी, गैर नि:शक्त सहपाठियों के अभिभावक सभी एकमत होकर यह तय करें कि मुश्किलों का सामना मिलकर करना है, तभी नि:शक्त बच्चों को गैर नि:शक्त बच्चों के साथ समावेशित किया जा सकेगा।

विद्यालय में बाधा रहित वातावरण : आमतौर पर देखा गया है कि विद्यालयों के प्रत्येक कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय आदि तक वह बच्चा नहीं पहुँच पाता जो व्हीलचेयर या फिर ट्राइसाइकिल इस्तेमाल करता है। अत: समावेशी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम उचित स्कूल भवन का प्रबंध ज़रूरी है। इसके अलावा स्कूलों में आवश्यक साज-सामान तथा शैक्षिक सहायताओं का भी समुचित प्रबंध ज़रूरी है।

प्रवेश की नीति में परिवर्तन : विद्यालय के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए, नि:शक्तता के आधार पर किसी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को आम जन तक पहुँचाने हेतु विद्यालय के दाखिले की नीति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम का निर्धारण : विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन बच्चों को विषय चयन करने में रियायतें प्रदान की हैं। जैसे जिन बच्चों को भाषा संबंधी समस्याएँ हैं, उन्हें दो के स्थान पर एक भाषा पढ़ने की छूट है। कुछ खास विषय जैसे गणित या विज्ञान में समस्या होने पर विषय परिवर्तन की छूट प्रदान की गई है। विद्यालय इन सुविधाओं का लाभ आवश्यकतानुसार बच्चे को दिलाकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं।

नई तकनीक का प्रयोग : रीडिंग साफ्टवेयर युक्त कंप्यूटर, ई-बुक, आडियो बुक, स्क्रीन पर फोंट साइज बढ़ाने की सुविधाओं, जैसी कई छोटी-छोटी सुविधाएँ जो नई तकनीकी ने उपलब्ध कराई हैं, का उपयोग समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु किया जा सकता है। इसी प्रकार से शारीरिक समस्या से पीड़ित बच्चों के लिए नई तकनीकी से युक्त कृत्रिम अंग सहयोगी हो सकते हैं। नए तरह के श्रवण यंत्र उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है।

विशेषज्ञीय सेवाएँ : आमतौर पर सामान्य शिक्षकों के मन में यह धारणा होती है कि नि:शक्त बच्चों को केवल विशेष शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं किंतु प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक नियुक्त कर उसकी मदद से शैक्षणिक रणनीतियाँ एवं लक्ष्य तय किए जा सकते हैं और सामान्य शिक्षक भी अपनी कक्षा में इन बच्चों का समावेशन कर सकते हैं। विद्यालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान होता है। एक कुशल मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बच्चे के व्यवहार सुधार कार्यक्रम को बनाने, लागू कराने में सहयोगी हो सकता है। साथ ही वह अभिभावक परामर्श के माध्यम से अभिभावकों का सहयोग समावेशन लागू करने में हासिल कर सकता है।

परीक्षा के दौरान विशेष प्रावधान : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा के दौरान कई सुविधाएँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाती हैं। जिनमें से मुख्य हैं–परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय, लेखक की व्यवस्था, बड़े अक्षरों वाले प्रश्न-पत्र, दृष्टिबाधित बच्चों को वैकल्पिक प्रश्नपत्र, स्वलीनता वाले बच्चों के लिए एक वयस्क सहायक आदि की व्यवस्था है। विद्यालयों को, ये सुविधाएँ आवश्यकतानुसार बच्चों को उपलब्ध करानी चाहिए।

शासन की अन्य योजनाएँ

- ❒ 'सुगम्य भारत अभियान' निस्संदेह सराहनीय पहल है। इस अभियान के तहत देश भर में अड़तालीस सौ महत्त्वपूर्ण इमारतों, सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, पचहत्तर रेलवे स्टेशनों, पच्चीस फीसदी सार्वजनिक बसों और तीन हजार जन-केंद्रित वेबसाइटों को अगले साल जुलाई तक विशेष आवश्यकता वाले लोगों के अनुकूल सेवाओं में बदलने का लक्ष्य तय किया गया है। अड़तालीस शहरों में कम से कम सौ महत्त्वपूर्ण इमारतों की जाँच करके अगले साल के अंत तक उनमें सुगम्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का इरादा जताया गया है।
- ❒ सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। उनके लिए अधिकतम आयु में छूट का भी प्रावधान है। सभी शासकीय शिक्षण संस्थाओं और सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में तीन प्रतिशत स्थान विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है।
- ❒ बस और ट्रेन में विशेष आवश्यकता वाले लोगों के अलावा उसके सहयोगी के लिए भी किराये में रियायत का प्रावधान है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, सार्वजनिक स्थानों, प्रतीक्षालयों और शौचालयों आदि में इन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं। इन स्थानों पर व्हील चेयर की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही ब्रेल लिपि और ध्वनि संकेतों में सूचनाएँ देने का प्रबंध भी होना चाहिए।

❒ **नि:शक्त जनों के लिए राष्ट्रीय संस्थान :** देश की विशेष आवश्यकता वाले लोगों की आबादी की विभिन्न समस्याओं से कारगर तरीके से निपटने के लिए प्रत्येक श्रेणी के नि:शक्त जनों के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है:–

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
2. राष्ट्रीय अस्थिबाधितार्थ संस्थान, कोलकाता
3. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगार्थ संस्थान, मुंबई
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांगार्थ संस्थान, सिकंदराबाद
5. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, कटक
6. शारीरिक विकलांगार्थ संस्थान, नई दिल्ली
7. राष्ट्रीय बहुव्याधी सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई

ये सभी संस्थान नई-नई खोजों और ऐसे लोगों की क्षमता में विकास से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेवा प्रदान करने जैसे कार्यक्रमों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। निशक्त जनों के लिए देश के पाँच समग्र क्षेत्रीय केंद्रों–श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, सुंदरनगर और गुवाहाटी में क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र हैं। ये केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए निशक्त्जनों को व्यापक प्रशिक्षण देकर तथा उनके पुनर्वास में मदद करते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण तथा हड्डियों एवं मांसपेशियों में विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त लोगों के लिए मोहाली, कटक, जबलपुर और बरेली में चार क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र ऐसे लोगों को बेहतर सेवाएँ दे रहे हैं ताकि वे अपना जीवन आत्मसम्मान से जिएँ और दूसरों पर आश्रित न हों। कानपुर स्थित कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ए.एल.आई.एम.सी.ओ.) सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय है जो निशक्तकजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने में संलग्न है। यहाँ तैयार किए जाने वाले उत्पादों को भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना ज़रूरी है। इन उत्पादों का विपणन क्षेत्रीय विपणन केंद्रों (कोलकाता, मुबंई, चेन्नई, भुवनेश्वर और दिल्ली) द्वारा किया जाता है।

दुनिया भर में सभी मनुष्य बराबर अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। इसलिए सभी बच्चों और युवाओं को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ शिक्षा का अधिकार है। यह ठीक है कि कई कारणों से कुछ विद्यार्थियों को अधिक ध्यान दिए जाने व प्रेरणा की ज़रूरत होती है। समावेशित शिक्षा की अवधारणा में ऐसी आदर्श कक्षा की कल्पना की गई है, जहाँ हर बच्चे की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे और युवा भी शामिल हैं। सामाजिक समावेशन विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों का मौलिक अधिकार है, समावेशित शिक्षा उस दायित्व को पूरा करने का प्रयास है।

आदर्श प्रश्न एवं उनके उत्तर

1. विभिन्न विशेष आवश्यकताओं के आधार पर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं का वर्णन करें।

अंक योजना

उत्तर–		उत्तर की रूपरेखा	मूल्य बिंदु	अंक
	अवलोकन	तथ्यों का विश्लेषण	मूल्यांकन और विश्लेषण	03
	कारण	विभिन्न अशक्तताओं का उल्लेख	ज्ञान का प्रयोग	04
	सुझाव	शैक्षणिक आवश्यकताओं का प्रस्तुतीकरण	सृजन (नई बात बताना)	03

उत्तर–'विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी' का अर्थ है–वे विद्यार्थी, जिन्हें सुनने, बोलने, देखने, समझने, चलने में समस्या हो या जो मानसिक रूप से पिछड़े हों। इन बच्चों में सीखने संबंधी कुछ खास कठिनाइयाँ होती हैं। इन सभी तरह की कठिनाइयों के कारण उनके सीखने के तरीकों में भिन्नता होती है। हर एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की समस्या और उसके सीखने का तरीका भिन्न हो सकता है।

दृष्टिबाधित व्यक्ति को ऐसी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है जिसे छूकर या सुनकर समझा व सीखा जा सके। विशेष आवाज़ वाले खिलौने इन बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं।

हाथ-पैरों में संवेदना की कमी के कारण उन विद्यार्थियों को विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे विद्यार्थियों को सहायक लेखक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जिस विद्यार्थी को सुनने व बोलने में समस्या है तो उसे सांकेतिक भाषा के शिक्षण की आवश्यकता होती है।

मानसिक मंदता वाले विद्यार्थियों के साथ विशेष सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इनको बड़े धैर्य के साथ कई-कई बार सिखाना पड़ता है।

अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने की निःशक्तता का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इन बच्चों का विकास अवरुद्ध होने का खतरा रहता है। साथ ही इनमें आत्मसम्मान भी कम हो सकता है।

2. अधिगम अशक्तता (लर्निंग डिसेबिलिटी) की समस्या के समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए।

अंक योजना

उत्तर–		उत्तर की रूपरेखा	मूल्य बिंदु	अंक
	अवलोकन	तथ्यों का विश्लेषण	मूल्यांकन और विश्लेषण	03
	कारण	अधिगम अशक्तता का उल्लेख, पढ़ाई से डर, क्लास में पिछड़ जाते हैं।	ज्ञान का प्रयोग	04
	सुझाव	मार्गदर्शन एवं परामर्शदाता की सहायता लेना, नवीन विचार प्रस्तुतीकरण	सृजन (नई बात बताना)	03

उत्तर–कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी सीखने में बहुत कठिनाई आती है। इन बच्चों को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, गणित के सवालों और सूत्रों को समझने और सामान्य अवधारणाओं को समझने में भी कठिनाई आ सकती है।

ऐसे विद्यार्थियों की सहायता के लिए इन्हें सामान्य विद्यालयों में दूसरे विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार सामान्य बच्चों के साथ ये ज्यादा जल्दी सीखते हैं तथा इनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा ऐसे बच्चों के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। विद्यालय-प्रशासन अध्यापक और अभिभावक सब एकमत होकर अशक्त बच्चों की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। विद्यालयों में बाधारहित वातावरण की आवश्यकता है ताकि विशेष आवश्यकता वाले इन बच्चों को दूसरों से कम-से-कम सहायता लेनी पड़े। विद्यालयों में ऐसे बच्चों को आसानी से प्रवेश मिल सके, इसके लिए प्रवेश नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता वाले इन बच्चों के सीखने की गति प्रभावित रहती है, इसलिए इनके लिए पाठ्यक्रम के निर्धारण और विषय चयन में रियायत की आवश्यकता है।

नई आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से भी ऐसे छात्रों के सीखने को सुगम बनाया जा सकता है। रीडिंग साफ्ट्वेयर, ई-बुक, ऑडियो बुक, फोंट साइज बढ़ाना इत्यादि छोटी-छोटी सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर इनके लिए शिक्षण को सुगम व सफल बनाया जा सकता है।

संभावित प्रश्न एवं उनके उत्तर

1. बहुविकलांगता से क्या अभिप्राय है? इस पर अपने सुझाव लिखिए।

उत्तर–अवलोकन : एक से अधिक अंग अक्षमता का होना अर्थात् जो व्यक्ति ऑटिज्म, सेरेब्रल से भी पीड़ित हो और मानसिक मंदता का शिकार भी हो। कोई व्यक्ति या बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो और दृष्टिबाधित भी हो। इस प्रकार दो या दो से अधिक विकलांगता का मिश्रण बहुविकलांगता है।

कारण : बहुविकलांगता कई कारणों से या अकारण भी हो सकती है। गर्भावस्था में माता को मानसिक आघात या शारीरिक चोट लग जाए। कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रीढ़ की हड्डी में या सिर पर चोट भी इसका कारण हो सकता है।

सुझाव : विशेष आवश्यकता वाले लोगों की विभिन्न समस्याओं से कारगर तरीके से निपटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुफ्त शिक्षा, सहायता और नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से इन्हें सामान्य जीवन जीने का अवसर दिया जाना चाहिए। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से भी इनकी सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है।

2. समावेशी शिक्षा समाज के लिए क्यों और किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर–समावेशी शिक्षा : विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना समावेशित शिक्षा कहलाता है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों : भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ प्रत्येक सामान्य बच्चे तक संपूर्ण शिक्षा सुविधाएँ नहीं पहुँच पातीं तो ऐसे में नि:शक्त बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षा संस्थाओं का उपलब्ध होना असंभव है। दूसरा कारण इन विद्यालयों में अपने जैसी कठिनाई वाले बच्चों के साथ रहना पड़ता है। ऐसे में इनका मानसिक-बौद्धिक विकास धीमा हो जाता है।

किस प्रकार महत्त्वपूर्ण : एक शोध अध्ययन में पाया गया है कि यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही अध्ययन कराया जाए, पढ़ाया जाए तो उनके विकास की संभावना ज्यादा होती है। एक साथ शिक्षित होने के कारण ये सामान्य बच्चे भविष्य में समाज के अंदर विशेष सरोकारों वाले व्यक्तियों के हितों को समझ सकेंगे।

समाज पर प्रभाव : सामान्य जन में उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास होता है। विशेष आवश्यकताओं वाले लोग भी समाज के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएँगे। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य जीवन जीने और रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका प्रदान कर उनके समाजीकरण और कौशल को बढ़ा सकती है। यह शिक्षा उन्हें यह अहसास करा सकती है कि वे भी समाज का हिस्सा हैं। भारत में समावेशित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा 'कुछ के लिए' से 'सभी के लिए' की ओर बढ़ रही है।

3. समावेशन की राह में आने वाली बाधाओं/चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जा सकता है?

उत्तर–आमतौर पर धारणा यह है कि इतनी विविधताओं के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा सकता है। हमारे समाज की 'सोच' आज भी यही है कि जब ये बच्चे अलग हैं तो इन्हें अलग विद्यालयों में ही पढ़ाया जाना चाहिए परंतु कुछ उपायों द्वारा समावेशन को संभव किया जा सकता है।

उपाय :

(*i*) दृष्टिकोण में परिवर्तन
(*ii*) विद्यालय में बाधारहित वातावरण
(*iii*) विद्यालयों में प्रवेश की नीति में परिवर्तन
(*iv*) पाठ्यक्रम का निर्धारण
(*v*) नई तकनीक का प्रयोग
(*vi*) विशेषज्ञीय सेवाएँ
(*vii*) परीक्षा के दौरान विशेष प्रावधान

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा विद्यालयों में बाधा रहित वातावरण हो, शौचालयों आदि में निर्बाध आवागमन हो, समाज इन्हें सहज रूप से स्वीकार करे। सामान्य विद्यालयों के दरवाज़े सभी के लिए खुले होने चाहिए। पाठ्यक्रम में बच्चे की क्षमता के अनुसार बदलाव होना चाहिए तथा जिस विषय में कठिनाई आए, उसकी जगह दूसरा विषय दिया जाए। नई तकनीक का प्रयोग करके समावेशन को आसान बनाया जा सकता है। विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को समझने के लिए विशेषज्ञीय सेवाएँ ली जा सकती हैं तथा उन्हें परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय दे देना चाहिए।

लाभ : यदि समाज अपनी सोच में परिवर्तन कर सके तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। इससे समाज में बेहतर तालमेल बन सकेगा और सर्वजन का समुचित विकास संभव हो सकेगा। इस प्रकार एक वर्ग की क्षमता के ह्रास को रोका जा सकता है।

4. सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा कौन-कौन-सी योजनाएँ चलाई गई हैं?

उत्तर–अवलोकन : 'सुगम्य भारत अभियान' निस्संदेह सराहनीय पहल है। इस अभियान के तहत देश भर में अड़तालीस शहरों में सौ महत्त्वपूर्ण इमारतों, सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, आदि पर अगले साल के अंत तक उनमें सुगम्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है।

योजनाएँ : ● रेलवे स्टेशन, 25% सार्वजनिक बसों, हवाई अड्डों, जन-केंद्रित वेबसाइटों को अगले साल तक विशेष आवश्यकता वाले लोगों के अनुकूल बनाना।

- शिक्षण संस्थाओं, सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है।
- किराए में रियायत का प्रावधान किया गया है।
- सार्वजनिक शौचालयों में विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शौचालयों में व्हील चेयर की उपलब्धता होनी चाहिए।
- नि:शक्त जनों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना।

आवश्यकता : विशेष आवश्यकता वाले, नि:शक्त जनों के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता के माध्यम से उन्हें सहयोग दिया जाए। समावेशी शिक्षा में भी उन्हें विशेष छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि वे विकास में पिछड़ें न और अपने आपको उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे।

सुझाव : सरकार तो अनेक योजनाएँ बनाती ही है। साथ ही आम लोगों, परिवार वालों और समाज को भी विशेष आवश्यकता वाले लोगों का सहयोग करना चाहिए। तभी उनके लिए सुगम्य भारत अभियान सार्थक बन पाएगा।

5. एक विद्यार्थी के रूप में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को किस प्रकार अपना सहयोग देंगे?

उत्तर–परिचय : जिन बच्चों में कुछ-न-कुछ असामान्य होता है, (किसी अपंगता का शिकार होते हैं) उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ये अति संवेदनशील होते हैं। अत: इनके साथ व्यवहार करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनको भावनात्मक ठेस न पहुँचे।

सहयोग : विशेष आवश्यकता वाले छात्रों/बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। जहाँ उन्हें आवश्यकता हो, वहीं सहायता करनी चाहिए। जैसे यदि दृष्टिबाधित सहपाठी हैं तो उसे पाठ बोलकर सुनाना चाहिए जिससे वे याद कर लें। अगर किसी को लिखने में समस्या हो तो उससे मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसकी मदद लिखकर की जानी चाहिए। उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

लाभ/प्रभाव : विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करने से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उनके साथ रहने या रखने से उनका मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। उन्हें सामान्य जीवनधारा में लाया जा सकेगा। वे भी बेहतर ढंग से देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।

विषय 2. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान

मुक्त पाठ्य सामग्री

अधिगम उद्देश्य

'स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान' पर आधारित मुक्त पाठ्य सामग्री के अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी :

1. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।
2. उन विशिष्ट क्षेत्रों और माध्यम का वर्णन कर सकेंगे जिनमें महिलाओं का योगदान रहा।
3. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, इस मुद्दे पर चर्चा कर सकेंगे।

पाठकों के लिए टिप्पणी

नवीं के पाठ्यक्रम में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद महिलाओं की स्वाधीन सामाजिक स्थितियों की ओर बहुधा संकेत किया गया है। आज़ादी के जन्मसिद्ध अधिकार को पाने के लिए भारतीय महिलाओं ने सतत् संघर्ष किया और अपने आसपास के समाज को भी इसके लिए भरसक प्रेरित किया। पराधीन माहौल से देश की स्वाधीनता की ओर बढ़ने की संघर्षपूर्ण यात्रा के बारे में शिक्षार्थी जागरूक हों और स्वतंत्रता का महत्व समझें। स्वतंत्रता परत दर परत हासिल होती है और इसके लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं। इसके कई मायने हैं। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही किसी देश का 'असली हासिल' नहीं हो सकता, 'माटीवाली' स्वतंत्र होकर भी विपन्न जीवन क्यों जीती है, 'मेरे संग की औरतें' रचना आज़ादी के कई नए रूपों को हमारे सामने खोलती है। महादेवी इनाम में मिला चाँदी का कटोरा गांधी को क्यों दे देती हैं?

सारांश–भारतीय महिलाओं ने किसी भी युग में समाज और देश के हालात को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी कभी पर्दे के पीछे से तो कभी प्रकट रूप में महिलाओं के योगदान को सभी मनीषियों और इतिहासकारों ने सराहा है। यहाँ इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी दी जा रही है जिसकी सीमा को निश्चित करना असंभव है । स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में जिन गुमनाम औरतों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनके प्रति युवा पीढ़ी के उज्ज्वल मनोभाव जागें और वे विरासत में मिली इस स्वाधीनता की जी-जान से रक्षा कर सकें। माताओं, पत्नियों, बहनों, बेटियों के मौन-मुखर सहयोग को सराहने का भाव सहज ही विकसित हो।

और माँ ने कहा होगा,
दुख कितना बहा होगा,
आँख में किस लिए पानी,
वहाँ अच्छा है भवानी।

वह तुम्हारा मन समझ कर,
और अपनापन समझ कर,
गया है सो ठीक ही है,
यह तुम्हारी लीक ही है,

पाँव जो पीछे हटाता,
कोख को मेरी लजाता,
इस तरह होओ न कच्चे,
रो पड़ेंगे और बच्चे

संदर्भ–भवानी प्रसाद मिश्र

भारत के स्वाधीनता आंदोलन में देश भर की ललनाओं ने इसी प्रकार परिवार और बच्चों के मनोबल को ऊँचा और अडिग रखा। उपर्युक्त पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र की माँ का वर्णन है। रामप्रसाद बिस्मिल जब स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी के लिए लखनऊ कांग्रेस जाना चाह रहे तो परिवार के विरोध के बावजूद माँ ने ही उन्हें सेवा-समिति में सहयोग के लिए भेज दिया। पिताजी और दादीजी की डाँट के बाद भी माँ के कारण ही उनका उत्साह और साहस बना रहा। माँ के प्रोत्साहन से ही संकट की घड़ी में भी वे स्वाधीनता की राह पर अटल रहने का संकल्प पूरा कर पाए। देश की सेवा और क्रांतिकारी जीवन का पहला पाठ माँ की गोद में ही प्राप्त होता है ।

भारत की स्वाधीनता के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास सन् 1757 ई. में प्लासी के मैदान से प्रारंभ होता है । लगभग दो सौ वर्षों के संघर्ष के उपरांत यह आंदोलन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समारोह के साथ परवान चढ़ता है। स्वाधीनता आंदोलन की यह धारा कभी धीमी, कभी तेज, कभी खुलकर तो कभी भूमिगत होकर निरंतर दो सदियों तक देश की रग-रग में बहती रही। प्लासी के युद्ध से जो असंतोष की धारा बही, वह सन् 1946-47 के नौसैनिक विद्रोह तक आंदोलन के बदलते पहलुओं को पार करती हुई अग्रसर होती रही। सन् 1757 से सन् 1857 के अंतराल में भारत के भिन्न भागों में असंतोष के फलस्वरूप कभी विद्रोह, कभी संग्राम तो कभी आंदोलन होते ही रहे। इन संघर्षों में भारतीय ललनाओं ने अधिकतर रीढ़ की हड्डी की तरह सदैव योगदान दिया। बहुधा उन्होंने आंदोलन का प्रमुख स्वर बनकर भी अंग्रेजों की सत्ता को बारंबार ललकारा।

कर्नाटक के बेलारी जिले में लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले कित्तूर एक स्वतंत्र रियासत थी। स्वाधीनता की ज्वलंत चिंगारी यहाँ रानी **चेन्नमा** के रूप में प्रकट हुई। अंग्रेजों ने संतानहीन राजाओं की रियासतें अंग्रेजी राज्य में मिलाने का नियम बनाया तो चेन्नमा ने गुलामी के जन्मदाता नियम का विरोध किया।

रानी ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की तैयारियाँ शुरू हुईं। कित्तूर में 72 दुर्ग थे। सब पर तोपें चढ़ा दी गईं। अपने राज्य की रक्षा के लिए बच्चा-बच्चा लड़ने की तैयारी में मशगूल हो गया। 20 नवंबर सन् 1828 की प्रातः जब अंग्रेजों ने नगर को घेर लिया तो रानी की आज्ञा से सभी नगरवासी दुर्ग के भीतर इकट्ठे हो चुके थे। रानी चुनिंदा योद्धाओं को लेकर युद्ध के लिए निकली और अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कुछ महीने युद्ध करने के पश्चात् अंग्रेजों ने गुप्तचरों के माध्यम से देशद्रोहियों को फँसाकर रानी को कैद कर लिया। बीमार रानी ने 21 फरवरी, 1829 को आँखें मूँद लीं। कित्तूर की रानी चेन्नमा ने स्वदेश की रक्षा करते हुए मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राणों को होम कर दिया।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देशी रियासतों को गुलाम बनाना शुरू किया तो बेगम हजरत महल त्याग, निष्ठा और परोपकार की मूर्ति बनकर उभरी। देश के प्रति प्रेम और समाज में सबके दुख-दर्द को समझ उसका निदान करने को वे सदा तत्पर रहीं। अंग्रेजों ने जब लखनऊ (अवध) के नवाब वाजिद अली शाह को अपने अधीन करने के लिए संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करवाने चाहे तो बेगम ने यह कार्य न होने दिया। 13 फरवरी, 1856 ई. को जब देशी रियासतें मज़बूरी में अधीनता स्वीकार कर रही थीं तो वाजिद अलीशाह अपना महल छोड़ कलकत्ता चले गए। किंतु **बेगम हजरत महल** क्रांतिकारियों के सहयोग हेतु आगे बढ़ीं। अपने ग्यारह वर्ष के शहजादे **बिरजिसकदर** को नवाब घोषित किया और अंग्रेजी शासन की गुलामी की जंजीरों को ललकारा । उनका समूचा व्यक्तित्व आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने कहा– ''अवध के रईसों, सामंतो तालुकेदारो!..... हमें मर-मिटने के लिए तैयार होना चाहिए।'' रियासत का कामकाज उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी। बेगम हजरत महल ने 4 जुलाई, 1857

को अंग्रेजी फौजों से मोर्चा लिया। सितंबर 1857 ई. तक बेगम सैनिकों को साथ लेकर दिन-रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ की औरतें भी अंग्रेजों से जी-जान से लड़ीं। 16 मार्च, 1858 ई. को अंग्रेजी फौजें केसर बाग में घुस आईं और वहाँ अनगिनत देशभक्तों को काल की भेंट चढ़ा दिया। बेगम के दुश्मनों और विरोधियों ने अंग्रेजों के प्रलोभन में फँसकर बेगम को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचा किंतु बेगम भूमिगत होकर नेपाल के सघन जंगलों में चली गईं। वतन की आन और मान की रक्षा के लिए अनंत दुख-कष्ट झेलते हुए भारत की यह वीरांगना अंततः मृत्यु को प्राप्त हुईं।

नृत्य और संगीत की नायिका अजीजन बाई को कुछ लोग **हुसैनी बेगम** के नाम से जानते हैं। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की पुकार सुनकर अजीजन ने नृत्य और संगीत की झंकार को क्रांति की चिंगारियों में बदल दिया। सन् 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम में अजीजन कंधों पर बंदूक और हाथ में तलवार ले नाना साहब पेशवा के सिपाही के रूप में अपना कर्तव्य निभाने को कटिबद्ध हो गई। सन् 1857 ई. के कानपुर विद्रोह में अजीजन घोड़े पर सवार जनरल हैवलॉक की तोपों का मुकाबला करती हुई, अंग्रेजों की विशाल सैन्य शक्ति से खूब लड़ी। अंततः हैवलॉक की गोलियों से उसके प्राणों की डोर टूट गई।

बेगम आलिया एक साहसी और दूरदर्शी महिला थी। उसने अद्‌भुत कारनामों से ब्रिटिश राज्य के हुक्मरानों को चुनौती देकर अप्रतिम साहस का परिचय दिया। अवध को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने हेतु उन्होंने ज़मींदारों और नवाबों को पैगाम देकर क्रांति के लिए उत्साहित किया। सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि का भेद भुलाकर उन्होंने सबसे बगावत के लिए सहयोग प्राप्त किया। अपने क्रांतिकारी संगठन में महल की बाँदियों-सहेलियों सबको शामिल किया। उनकी दूरदर्शिता इतनी पैनी थी कि उन्होंने महिला जासूसों का भी संगठन बनाया। उनकी सैन्य वाहिनी के गुप्तचर ब्रिटिश शासन की गुप्त षड्यंत्रकारी युद्ध संबंधी योजनाओं का पता लगाते। महिला गुप्तचरों से प्राप्त भेदों के माध्यम से बेगम आलिया ने समय-समय पर ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध कर, उन्हें कई बार अवध से खदेड़ा। इतिहासकारों के अनुसार बेगम आलिया सन् 1857 ई. से लेकर सन् 1858 ई. के दौरान ब्रिटिश सैनिकों से दिन-रात संघर्ष करती रहीं।

बुदरी की क्षत्राणी और अमरचंद बंठियाँ ने बुदरी के आसपास के हलकों-कस्बों में स्वतंत्रता की मशाल को जगाए रखा और अपने कोषागार से धन-संपत्ति देकर विद्रोहियों के शस्त्र-निर्माण में खूब योगदान दिया। घायल भारतीय सिपाहियों की चिकित्सा का भी निरंतर प्रबंध किया। तलवार उठाए बिना ही बुदरी की क्षत्राणी ने अपना सर्वस्व स्वाधीनता के लिए समर्पित कर दिया।

अनूप शहर की **चौहान रानी** ने भी क्रांतिकारी पत्र-व्यवहार और गुप्त दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान द्वारा अपने यहाँ कभी ब्रिटिश हुकूमत के पाँव जमने नहीं दिए। उन्होंने अनूपशहर के थाने से यूनियन जैक को उतार कर वहाँ अपना झंडा लहरा दिया। सन् 1858 के अगस्त महीने तक रानी का संघर्ष जारी रहा।

भारतवर्ष की वीरांगनाओं में **रानी लक्ष्मीबाई** अद्वितीय वीरांगना थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के दाँत खट्टे करते हुए, स्वयं को मातृभूमि की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। सिंहनी की दहाड़ और **माँ दुर्गा** की शक्ति से ओतप्रोत हो वे रणक्षेत्र में कूद पड़ीं और अंग्रेजों के शासन की जड़ें हिला दीं। अंग्रेज उनसे इतने भयभीत हुए कि झाँसी को अपने राज्य में मिलाने के नए-नए हथकंडे ढूँढ़ने लगे।

रानी लक्ष्मीबाई की अनुगामी झलकारी ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध तलवार उठाकर क्रांति का झंझावात उपस्थित कर दिया। सन् 1857 ई. मार्च के तीसरे सप्ताह जब ब्रिटिश फौजियों ने झाँसी को चारों ओर से घेर लिया तो सेविका झलकारी ने झाँसी की रानी का स्वाँग धरकर ब्रिटिश फौज को खूब भरमाया, उतनी देर में लक्ष्मीबाई कालपी पहुँच गई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की पोशाक पहन, अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर ब्रिटिश सैनिकों को व्यस्त रखा। अपनी वीरता और साहस के बलबूते मातृभूमि की भक्ति और स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में वह अपना नाम अमर कर गई।

ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाने के कारण **तुलसीपुर की रानी** का नाम भी आज गौरव से लिया जाता है। गोंडा से चालीस किलोमीटर दूर तुलसीपुर की रियासत में जब होपग्रांट अपनी सेना लेकर आया तो रानी ने ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष कर अपनी तलवार आजमाई। रानी को पराजय का मुख देखना पड़ा पर उनका स्वाभिमान नहीं हारा। पता नहीं चल पाया कि अंग्रेजों ने रानी की हत्या कर दी या वे नेपाल की ओर चली गईं। बहादुरशाह जफर की **बेगम जीनत महल**, बेटी **बस्ती बेगम** और उनकी सहेलियाँ **गुलशन** और **गुलनार** ने भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। बेगम हजरत महल की सेना में शामिल **रहीमी** ने भी अंगारा बनकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला को जागृत रखा। वह क्रांतिकारी संगठन की नारियों को एकत्रित करती। रोटी और कमल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कई नगरों, गाँवों और कस्बों में क्रांति का प्रचार करने जाती। अंग्रेजी फौजों के शिविर में बहुरूपिया बनकर जाती और वहाँ शामिल भारतीयों में भी क्रांति की चेतना जागृत करती। रहीमी की गिरफ्तारी का वारंट निकाल उसे गिरफ्तार कर ब्रिटिश न्यायालय ने उसे फाँसी की सज़ा सुना दी। हैदरी भी बेगम हजरत महल की सेना में शामिल हुई और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी योजनाएँ बनाईं। नाना पेशवा की साहसी **पुत्री मैनाबाई** ने भी अपने ही तरीके से अंग्रेजों के अन्याय का विरोध कर देशवासियों में स्वतंत्रता की आस को जगाए रखा।

मध्य भारत से **जैतपुर की रानी** ने चंडिका बनकर अपनी रियासत की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। अंग्रेजों और राजा परीक्षित में जो गुलामी की संधि हुई रानी ने राजा परीक्षित के मरणोपरांत उसका विरोध किया और अपने स्वतंत्र कार्यों पर अंग्रेजों का अंकुश न लगने दिया। जैतपुर की स्वतंत्र घोषित रियासत की सहायता हेतु **तेजपुर की रानी** भी सहयोगी बनकर आगे आई। दतिया के कई क्रांतिकारी भी जैतपुर पहुँचे। सभी देशभक्तों ने अंग्रेजों से कई बार मोर्चा लिया। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति विशाल थी, अंततः गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझती रानी समय की धारा में विलीन हो गई।

केवल राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने से देश का समुचित विकास न हो सकेगा इस तथ्य को महसूस करने वाली स्त्रियों में **सावित्री बाई फुले** और उनकी बेटी **ताराबाई शिंदे** का नाम अग्रणी है।

1840 से 1890 तक सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूर-देहात के इलाकों तक लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाई। ताराबाई शिंदे ने सत्यशोधक समाज से जुड़कर अस्पृश्यता, बाल-विवाह और विधवा-दमन जैसे समाज सुधार के आंदोलनों में शामिल होकर देश को सामाजिक मुक्ति की राह पर अग्रसर किया। इन आंदोलनों के फलस्वरूप आगे स्त्रियाँ बड़ी संख्या में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ीं।

24 अक्तूबर को आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट नोबल ने भारत सेवा का प्रण लेकर **भगिनी निवेदिता** नाम प्राप्त किया। 1899 में भयंकर प्लेग महामारी फैली और 1906 में जब बंगाल अकाल और बाढ़ की चपेट में आया तो निवेदिता ने असंख्य भारतवासियों की दिन-रात सेवा की। स्वतंत्रता और सेवा भाव में विश्वास रखने वाली निवेदिता के पिता भी आयरलैंड की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा के रूप में उनके कोलकाता के बाग बाज़ारवाले छोटे से घर ने बड़ी भूमिका निभाई।

इस 'सेवा की कुटिया' में विद्वान, साहित्यकार, क्रांतिकारी, नेता, समाजसेवी आदि सभी आते थे। अपने बालिका विद्यालय में सब जातियों की लड़कियों के मन में शिक्षा की अलख जगाकर, देश को आज़ादी के मार्ग पर अग्रसर किया। 'बंग-भंग विरोधी प्रदर्शन आंदोलन' में भाग लेकर इन्होंने युनिवर्सिटी हॉल में लॉर्ड कर्जन के भाषण का विरोध किया। क्रांतिकारियों के लिए उनके लेख, गान और कविताएँ सदा प्रेरणादायक रहीं।

कस्तूरबा गाँधी ने मोहनदास करमचंद गाँधी को महात्मा गाँधी बनाने में सहयोग देकर देश को आज़ादी के दृढ़ मार्ग पर अग्रसर किया। उनकी स्वतंत्र सोच ने गांधी को सदा प्रेरित किया। हर आंदोलन के महिला पक्ष की बागडोर कस्तूरबा के ही हाथ में होती थी। कस्तूरबा की जीवंत भागीदारी के कारण ही भारतीय स्त्री समाज इतने बड़े स्तर पर

स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका। बहुत-सी स्त्रियों ने उनके प्रभाव से सादा जीवन जीना शुरू किया। बहुधा औरतों ने अपने मँहगे विदेशी कपड़े और जेवर स्वाधीनता आंदोलन में होम कर दिए।

बसंती देवी चितरंजन दास ने खादी बेचते हुए गिरफ्तारी दी और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। 1932 में हरिजन आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का बढ़-चढ़कर साथ दिया। बनारस में 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में **सरला देवी चौधरानी** ने बंकिमचंद्र के प्रसिद्ध गीत 'वंदे मातरम' को अपनी वाणी दी। समय-समय पर 'भारती' में अपने विचार प्रकाशित कर साहस और स्वतंत्र भाव का परिचय दिया। व्ययाम समिति, वीराष्टमी उत्सव, प्रताप आदित्य उत्सव आदि के माध्यम से बंगाल के नौजवानों में आज़ादी के लिए नया जोश भर दिया। विवाह के उपरांत पंजाब में 'भारत स्त्री महामंडल' की स्थापना करके उन्होंने देश भर में इसकी गतिविधियों का विस्तार करने का प्रयास किया। उड़ीसा की **सहोइला बाला दास** ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से घर-घर खादी का प्रचार किया। महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित ब्रिटिश नेवल ऑफिसर की पत्नी मेडलीन ने मीरा बेन बनकर देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव जगा उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा।

क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी **दुर्गा भाभी** गांधी जी के समक्ष अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ-साथ भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी मुक्त करवाने की गुज़ारिश लेकर गईं थीं। 1930 में रावी के तट पर बम विस्फोट में पति के शहीद होने के बाद दुर्गा भाभी पूर्ण समर्पित होकर क्रांति की राह पर चल पड़ी। सांडर्स वध के बाद भाभी ने मेमसाहब बनकर भगतसिंह को लाहौर से बचाकर निकाला। आज़ाद भारत में संसदीय राजनीति से दूरी बनाकर भाभी ने देश सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। **कैप्टन लक्ष्मी सहगल**, आज़ाद हिंद फौज की जुझारू सिपाही थीं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया।

नारौजी बहनें पेरिंबेन, गोशीबेन और **खुर्शीदबेन** ने महात्मा गाँधी से प्रभावित हो खादी पहनना शुरू किया। पेरिंबेन ने 1921 में राष्ट्रीय स्त्री सभा की नींव रखी और 'तिलक स्वराज कोष' के लिए वित्त भी एकत्र किया। 1930 में नमक सत्याग्रह और 1935 में हिंदी प्रचार सभा के विविध कार्यों में उनकी सशक्त भागीदारी सभी भारतीय स्त्रियों के लिए प्रेरणादायी है । गोशीबेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का एलान करते हुए विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया। पेरिंबेन के साथ मिलकर उन्होंने गांधी सेवा सेना की स्थापना की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति तेज़ की। खुर्शीदबेन ने खान अब्दुल गफ़्फार खान का सहयोग देते हुए पठान, पीर, मलिक और खान सब में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। **मिट्ठुबेन, मिट्ठन जे. लाम, रामादेवी चौधरी, अनुसूयाबेन साराबाई, आशादेवी अरण्यकम, शारदाबेन महता, नीलीसेन गुप्ता, माता रामेश्वरी नेहरू** आदि अनेक जानी-मानी महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले आज़ाद देश के सपने को साकार किया।

कमला नेहरू ने राष्ट्र-उत्थान और स्त्रियों के विकास से जुड़ी गतिविधियों में भरपूर योगदान दिया। अपनी खराब सेहत के बावजूद 1931 में इलाहाबाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रभावी बनाने में उन्होंने कोई कोर-कसर न छोड़ी। **प्रभावती देवी, सोफिया खान, सत्यवती देवी, मनीबेन पटेल, राजकुमारी अमृत कौर** आदि असंख्य महिलाओं ने अपने जीवन भर का श्रम स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों को समर्पित कर दिया। असम की **चंद्रप्रोवा सैकियानी** ने प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार कर औरतों की आज़ादी और देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारी कार्य किए। वे मानव-मात्र की आज़ादी में पूर्ण विश्वास रखती थीं, इसलिए औरतों के लिए सहानुभूति नहीं समान अधिकार चाहती थीं। समाज-सुधारक होने के साथ-साथ वे एक सहृदय कवयित्री भी थीं। 1922 में महात्मा गाँधी के मार्गदर्शन में प्रधानाचार्या के पद को त्याग कर वे पूरी तरह विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से जुड़ गईं। असम की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे खादी को असम के घर-घर में ले जाने के प्रयासों से पूरी तरह जुड़ गईं। 1926 में राज्य स्तर पर महिला समिति का गठन कर, उन्होंने भविष्य में देश और असम की महिलाओं के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान आदि अनेक महिलाओं ने साहित्य, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अमिट योगदान देकर भारतीय नारी को अद्‌भुत आत्मविश्वास से भर दिया। अपने किशोरपन में मन्नु भंडारी जैसी स्वाधीनता आंदोलन की एक गुमनाम सिपाही थी, ऐसी ही सहस्त्रों ललनाओं के संपूर्ण समर्पण और सहयोग से देश का स्वाधीनता आंदोलन अंततः सफल हो सका।

आदर्श प्रश्न एवं उनके उत्तर

1. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने किस रूप में योगदान दिया?

अंक योजना

उत्तर–		उत्तर की रूपरेखा	मूल्य बिंदु	अंक
	आंदोलन	प्रारंभ से अंत तक	तथ्यों का विश्लेषण और आंदोलन पर प्रभाव	3+4
	स्वरूप	अखिल भारतीय प्रभाव		
	योगदान	आर्थिक और मानसिक सहायता	सृजन–नए विचार	3

उत्तर– भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1757 से 15 अगस्त, 1947 तक चला। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का भरपूर योगदान रहा। उन्होंने एक सिपाही के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में और एक पत्नी के रूप में अपना पूर्ण सहयोग दिया है, अपने बेटों को, पतियों को प्रोत्साहित किया और स्वयं घर की जिम्मेदारी उठाकर उन्हें देश सेवा में लगाया।

स्वरूप : भारतीय वीरांगनाओं ने जब तलवार उठाई तो उन्होंने दुश्मन के होश उड़ा दिए। कर्नाटक के बेलारी में कित्तूर की रानी चेन्नमा, बेगम हज़रत महल ने शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से लोहा लिया, अपनी सेना का नेतृत्व किया और देश पर अपने प्राणों की बलि दे दी।

योगदान : अजीजन बाई एक ऐसे वर्ग से संबंधित थी, जिसे समाज में सम्मान नहीं दिया जाता। उसने नाना साहब पेशवा के सिपाही के रूप में लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की बलि दे दी। बेगम आलिया ने साहूकारों और जमींदारों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया और एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। डलहौजी की हड़प नीति के खिलाफ रानी ने अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसर भी उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गए थे।

कस्तूरबा गांधी ने गांधी को महात्मा गांधी बनाने में पूर्ण योगदान दिया। ज्योतिबा बाई फुले और उनकी बेटी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किए।

भगिनी निवेदिता जैसी विदेशी महिलाओं ने भी देश की आजादी में अपरोक्ष योगदान दिया।

परिणाम : निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महिलाओं ने देश को आज़ादी दिलवाने में रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया। जिसके परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं को सम्मान भी मिला और सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ी।

2. देश की स्वाधीनता महिलाओं के विकास में कैसे सहायक है?

अंक योजना

उत्तर–		उत्तर की रूपरेखा	मूल्य बिंदु	अंक
	महिला-विकास	पूर्व और पश्चात् के हालात	स्थितियों में अंतर पहचानते हुए तथ्यों का विश्लेषण	3+4
	स्वाधीनता	योजनाएँ और अनुपालन	स्थिति का ज्ञान	
	परिणाम	सामाजिक, आर्थिक, मानसिक	सृजन–नए विचार	3

उत्तर–महिला-विकास : देश की आज़ादी से पहले महिलाओं की दशा कुछ अच्छी नहीं थी। लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। बाल-विवाह, वैधव्य कष्ट, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ महिलाओं के विकास में बाधक थीं। दादा भाई नारौजी, रानाडे, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, कमला नेहरू आदि के प्रयासों से महिलाओं में शिक्षा व जागरूकता का प्रचार-प्रसार हुआ। देश की आजादी में दुर्गा भाभी, लक्ष्मी सहगल आदि ने देश की महिलाओं को शिक्षा व संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया।

स्वाधीनता : देश की आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए। महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए। महिलाओं ने राजनीति में भी पहचान बनाई। विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएँ विदेशी राजदूत और राज्यपाल बनीं, मंत्री और प्रधानमंत्री बनीं। वे उद्योगपति और अंतरिक्ष यात्री भी बनीं।

सती प्रथा को तो अंग्रेजों की सहायता से बंद करवा दिया गया था, परंतु आज़ादी के बाद बाल-विवाह, दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को कानूनी अपराध घोषित किया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू किया। आज़ाद भारत में महिलाओं ने भी आज़ादी के पंख लगाकर तरक्की की ऊँचाइयों को छुआ।

परिणाम : स्वाधीनता से महिलाओं में आत्मसुरक्षा, आत्मसम्मान और स्वाभिमान, आर्थिक स्वायत्तता की वृद्धि हुई। उन्हें एक खुला आसमान मिला। लड़कियों को मुफ़्त शिक्षा, लाडली योजना, मातृछाया, गर्भावस्था जाँच, आदि अनेक योजनाएँ बनीं। पहले कन्या के जन्म लेते ही उसे मार देते थे परंतु कन्या भ्रूण हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करके उनकी सुरक्षा का प्रयास किया गया। अत: कहा जा सकता है कि स्वाधीनता महिलाओं के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए सहायक सिद्ध हुई है।

संभावित प्रश्न एवं उनके उत्तर

1. स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से वर्तमान परिस्थिति में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ?

उत्तर–आंदोलन : स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनेक क्षेत्रों में योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों में, सामाजिक संघर्ष में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। बाद के समय में धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन हुआ।

भागीदारी : कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू, भीकाजीकामा, बेगम हज़रत महल, झाँसी की रानी, चाँद बीवी आदि महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों का विरोध किया, सैन्य संगठनों का नेतृत्व किया। ऐनी बेसेंट, मदर टेरेसा, भगिनी निवेदिता जैसी महिलाओं ने सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया।

परिवर्तन : स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकृति और सम्मान दिलवाया। महिलाएँ घर की चारदीवारी को लाँघकर पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलने लगीं। उनको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। राजनीति में भी उनका स्थान बनने लगा। महिलाओं की दुर्दशा देखकर कई लोग उनके उत्थान के लिए आगे आए, जिनमें राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, दुर्गा भाभी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि प्रमुख थे। उनके लंबे संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि आज महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपना डंका बजा रही हैं। दुर्गा भाभी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ज्योतिबा फुले, रमाबाई रानाडे आदि महिलाओं ने आगामी पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। आज महिलाएँ जागरूक हैं और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं।

2. सामाजिक-शैक्षिक क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए किन-किन महान हस्तियों ने अपना योगदान दिया?

उत्तर–अवलोकन : समाज सुधारकों ने बड़ी गंभीरता से इस तथ्य को जान लिया था कि केवल राजनीतिक स्वाधीनता से देश का समुचित विकास नहीं होगा। अतः उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के प्रयास शुरू किए जहाँ उनका रूढ़िवादी विचारधारा से कठोर संघर्ष हुआ। रूढ़िवादियों का मानना था कि महिलाओं में समझ की कमी होती है। वे घर तक ही ठीक हैं।

योगदान : राजा राममोहन राय ने ऐसे लोगों के साथ तीखा संवाद किया। सती प्रथा को समाप्त करवाना एक बहुत बड़ा कदम था। रानाडे ने परिवार के विरोध के बावजूद न केवल अपनी पत्नी को पढ़ाया बल्कि महिलाओं की शिक्षा को अपना पूर्ण समर्थन दिया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सावित्री बाई फुले, सुभाष चंद्र बोस ने सेना में महिलाओं को अवसर दिया। बसंती देवी चितरंजन दास, सरला देवी चौधरानी ने 'वंदे मातरम्' को अपनी वाणी दी। व्यायाम समिति वीराष्टमी उत्सव, प्रताप आदित्य उत्सव आदि के माध्यम से बंगाल के नौजवानों में आज़ादी के लिए नया जोश भर दिया। मन्नु भंडारी जैसे लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर लड़कियों के हौंसलों को बुलंद किया।

परिणाम : सभी के सम्मिलित प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। भारत को महान बनाने में महिलाओं का योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। सहस्त्रों ललनाओं के संपूर्ण समर्पण और सहयोग से ही देश का स्वाधीनता आंदोलन अंततः सफल हो सका।

3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा सामाजिक विकास में विदेशी महिलाओं के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर–परिचय : भारत की संस्कृति और सभ्यता ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। समय-समय पर अनेक विदेशियों ने भारत को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना है। अनेक विदेशी महिलाओं ने भारत की आज़ादी और सामाजिक उत्थान में अहम् भूमिका निभाई है।

योगदान : 24 अक्तूबर को आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट नोबल ने भारत सेवा का प्रण लेकर स्वामी विवेकानंद की सहयोगी के रूप में भगिनी निवेदिता नाम पाया। 1899 में भयंकर प्लेग महामारी में और 1906 में बंगाल के अकाल और बाढ़ की आपात स्थिति में भारतवासियों की दिन-रात सेवा की। इनके विचारों में स्वतंत्रता और सेवाभाव की प्रमुखता थी। इनके पिता भी आयरलैंड की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। इन्होंने बंग-भंग विरोधी प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

श्रीमती ऐनी बेसेंट भी भारत से काफी प्रभावित थीं। श्रीमती बेसेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में भी इनकी अहम् भूमिका है। ये भारत की स्वंतत्रता की पक्षधर थीं।

मदर टेरेसा यूगोस्लाविया में जन्मी थीं। 19 वर्ष की आयु में वे भारत घूमने आयी थीं। भारत की दुर्दशा ने उन्हें आंदोलित कर दिया और वे यहीं की होकर रह गईं। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की।

परिणाम : इस प्रकार अनेक विदेशी महिलाओं ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत की आज़ादी को प्रभावित किया। इनके प्रयासों ने भारतवासियों को भी प्रेरित और प्रभावित किया तथा विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ। इससे महिलाओं को सामाजिक स्वीकृति और सम्मान मिला। भारतीय महिलाएँ भी पर्दे से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में उतर आईं।

4. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में माताओं की भूमिका को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–अवलोकन : स्वतंत्रता के इतिहास में आरंभ से अंत तक ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब जननी ने अपनी संतान को देश की स्वतंत्रता पर अर्पित कर दिया। अपने बच्चों को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। माताएँ अपने दूध का कर्ज़ देश सेवा के रूप में उतारने के लिए कहती हैं।

योगदान : भवानी सिंह जी ने अपनी कविता में माँ के अंतर्मन की व्यथा को बखूबी उभारा है। वह अपने पुत्र से दूर होकर अत्यंत दुखी हैं परंतु उसकी देशसेवा पर गर्वित भी हैं। ज्योतिबा फुले एक निम्न जाति से संबंधित थी। उसने न केवल स्वयं शिक्षा ग्रहण की अपितु अपनी बेटी को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बेगम हज़रत महल क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए अपने ग्यारह वर्ष के शहजादे को नवाब घोषित किया और अपने बेटे को अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। अनेक क्षत्राणियों ने अपने बच्चों को गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए प्रेरित किया। रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद भगतसिंह की माँ ने अपने लालों को देश पर कुर्बान कर दिया।

प्रभाव : माताओं की देशभक्ति के कारण देश पर मर-मिटने वालों की संख्या बढ़ती गई। माताओं ने कंधे-से-कंधा मिलाकर स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। आज भी शहीद की माँ को उस पर गर्व होता है। वह आँसुओं में उसकी कुर्बानी जाया नहीं करती। इसलिए भारत माता को वीर माताओं की जननी कहा जाता है।

5. कौन-सी दो संधियों/कानूनों के माध्यम से अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा रियासतों को अपने राज्य में मिलाया?

उत्तर–अवलोकन : अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाए, वे सभी उनके हित साधने वाले थे। उनकी नीतियाँ भारतीयों के लिए विनाशकारी और अंग्रेजों के लिए लाभकारी होती थीं। सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति ऐसी ही दो घातक संधियाँ थीं, जिनके माध्यम से अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे।

कैसे? : सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज देशी रियासतों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए सैन्य सहायता देते थे। बदले में राजा या रियासत तो उस सेना का पूरा खर्च उठाते ही थे साथ ही अंग्रेजों को हर्ज़ाना भी देते थे। इस प्रकार राजाओं पर अंग्रेजों की दोहरी मार पड़ती थी।

हड़प नीति के द्वारा डलहौजी नि:संतान राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेता था क्योंकि उस नि:संतान राजा की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र या पत्नी के अधिकार का दावा खारिज हो जाता था।

प्रभाव : इन दोनों नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। नवाबों/राजाओं को या तो बेदखल कर दिया या पेंशनभोगी बना दिया। सहायक संधि में कंगाल हुए राजा अपनी संपत्तियाँ तक बेचने को मज़बूर हो गए। इन दोनों संधियों के दूरगामी परिणाम हुए। 1857 के विद्रोह में ऐसे राजाओं/नवाबों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।